लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 383
जिसका उत्तर बुधवार, 27 नवंबर, 2024 को दिया जाएगा

आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतें

383. श्री राम प्रसाद चौधरी:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी खाद्य वस्तु-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि में जमाखोरी/कालाबाजारियों की भूमिका सरकार के ध्यान में आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा आम आदमी के हितों की रक्षा करने के लिए आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतों को स्थिर/कम करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्री बी. एल. वर्मा)

(क): उपभोक्ता मामले विभाग देश भर में 555 मूल्य रिपोर्टिंग केंद्रों से चयनित खाद्य वस्तुओं की दैनिक कीमतों की निगरानी करता है। पिछले तीन वर्षों और वर्तमान के लिए 22 खाद्य वस्तुओं के अखिल भारतीय वार्षिक औसत खुदरा मूल्य **अनुलग्नक** में दिए गए हैं। चालू वर्ष में मसूर दाल, मूंगफली तेल, सरसों तेल, सोया तेल, सूरजमुखी तेल, वनस्पति और पाम तेल जैसी खाद्य वस्तुओं की वार्षिक औसत खुदरा कीमतें पिछले वर्षों की तुलना में कम हैं। खाद्य वस्तुओं की कीमतें अस्थिर होती हैं क्योंकि वे कई कारकों से प्रभावित होती हैं, जैसे मांग और आपूर्ति में अंतर, मौसमीपन, आपूर्ति श्रृंखला की बाधाएं, जमाखोरी और कालाबाजारी से उत्पन्न कृत्रिम कमी, अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि आदि। कभी-कभी आपूर्ति श्रृंखला में मामूली व्यवधान या भारी बारिश के कारण फसल क्षति के कारण कृषि-बागवानी वस्तुओं की कीमतों में उछाल आ जाता है।

(ख): आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 को आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण के विनियमन तथा कालाबाजारी, जमाखोरी और मुनाफाखोरी जैसी कुप्रथाओं से निपटने के लिए लागू किया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, सरकार ने जमाखोरी और बेईमान सट्टेबाजी को रोकने के लिए कुछ दालों और गेहूं पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत स्टॉक सीमा लागू की थी। सरकार ने दिनांक 21.06.2024 और 11.07.2024 के आदेशों के तहत तूर और चना पर स्टॉक सीमा लगाई थी जो 30.09.2024 तक लागू रही। सरकार ने 24.06.2024 की अधिसूचना के तहत गेहूं पर भी 31.03.2025 तक स्टॉक सीमा लगाई है।

(ग): सरकार अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) द्वारा नियमित समीक्षा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन और उपलब्धता पर कड़ी नजर रखती है। समिति ने नियमित आधार पर आवश्यक कृषि-बागवानी वस्तुओं की कीमतों और मूल्य प्रवृत्तियों की स्थिति की समीक्षा की तथा घरेलू उत्पादन में वृद्धि तथा आयात के माध्यम से उपलब्धता बढ़ाने के उपाय सुझाए। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (डीएएफडब्ल्यू) इन सभी बैठकों में एक प्रमुख हितधारक है तथा उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए निरंतर उपाय कर रहा है।

बाजार में कीमतों को नियंत्रित करने के लिए, दालों और प्याज का बफर स्टॉक अंशांकित और लक्षित तरीके से बाजार में हस्तक्षेप के लिए बनाए रखा गया है। बफर स्टॉक से दालों के एक हिस्से को भारत दाल ब्रांड के तहत किफायती कीमतों पर उपभोक्ताओं को खुदरा बिक्री के लिए दालों में परिवर्तित किया जाता है। इसी प्रकार, भारत ब्रांड के तहत खुदरा उपभोक्ताओं को आटा और चावल रियायती मूल्य पर वितरित किया जाता है। बफर स्टॉक से प्याज को थोक बाजारों और खुदरा दुकानों के माध्यम से उच्च मूल्य वाले उपभोक्ता केंद्रों में कीमतों को नियंत्रित करने के लिए एक अंशांकित और लक्षित तरीके से जारी किया जाता है। प्रमुख उपभोग केन्द्रों पर स्थिर खुदरा विक्रय केंद्र और मोबाइल वैन के माध्यम से खुदरा उपभोक्ताओं के बीच प्याज 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से वितरित किया जाता है। इन उपायों से दालें, चावल, आटा और प्याज जैसी आवश्यक खाद्य वस्तुएं उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराने और कीमतों को स्थिर करने में मदद मिली है।

****

अनुलग्नक

आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतों के संबंध में दिनांक 27.11.2024 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 383 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक विवरण।

----

22 आवश्यक वस्तुओं का अखिल भारतीय वार्षिक खुदरा औसत मूल्य

इकाई: रु./किग्रा.

क्र. सं.	वस्तु	वर्ष			
		2021	**2022**	**2023**	**2024**
1	चावल	35.98	37.03	40.72	44.03
2	गेहूं	27.25	30.15	32.48	33.77
3	आटा (गेहूं)	30.75	34.5	37.66	38.82
4	चना दाल	75.26	73.66	76.98	87.64
5	तूर/अरहर दाल	105.51	107.29	132.92	157.76
6	उड़द दाल	107.92	106.57	113.79	124.79
7	मूंग दाल	103.89	102.63	110.51	116.99
8	मसूर दाल	88.75	96.21	93.12	92.27
9	मूंगफली तेल (पैकबंद)	176.28	189.24	191.16	189.9
10	सरसों तेल (पैकबंद)	170.67	181.98	156.32	149.5
11	वनस्पति (पैकबंद)	131.02	150.24	130.81	127.43
12	सोया तेल (पैकबंद)	147.26	158.41	137.58	128.11
13	सूरजमुखी तेल (पैकबंद)	164.36	178.2	151.96	138.01
14	पाम तेल (पैकबंद)	128.28	134.83	110.23	107.12
15	आलू	21.34	25.2	22.63	30.73
16	प्याज	32.52	28	32.2	40.86
17	टमाटर	32.63	36.61	43.6	43.87
18	चीनी	40.62	41.87	43.02	44.65
19	गुड़	47.68	49.31	50.84	53.86
20	दूध	49.11	52.81	57.45	58.78
21	चाय खुली	279.82	282.48	276.79	275.46
22	नमक पैक (आयोडीन युक्त)	18.09	20.25	22.06	22.33

** - 21 नवंबर, 2024 तक*

****